पुलिस आदेश संख्या 225/91

पुलिस आदेश संख्या 203/88 तथा ज्ञापांक 2214/एक्स.पी. दि0 16.3.88 द्वारा राज्य के प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षकों को अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व से संबंधित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है, जिसमें कंडिका (ग) में आरक्षी निरीक्षक तथा उससे नीचे के कार्यपालक बल तथा अनुसचिवीय दल का स्थानान्तरण करने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है। इससे क्षेत्र में प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक तथा क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षकों की शक्तियों में अतिव्याप्ति हो रही है। इन बिन्दुओं का विस्तृत एवं सुस्पष्ट विवेचन के बाद पुलिस आदेश संख्या 203/88 के कंडिका (ग) में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है:-

स्थानान्तरण अधिकार प्र.म.नि. अपने क्षेत्र के आरक्षी निरीक्षक तथा उससे नीचे के कार्यपालक बल तथा अनुसचिवीय दल का स्थानान्तरण शासन की नीति के मुताबिक अपने क्षेत्र के अन्दर अन्तर क्षेत्रीय (Inter Range) आधार पर कर सकेंगे। अर्थात स्थानान्तरण एक जिला से दूसरे जिला में नहीं किया जायेगा, बल्कि एक क्षेत्र (Range) से दूसरे क्षेत्र में किया जायेगा और जिला आवंटन का कार्य संबंधित क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

ऐसे स्थानान्तरित पदाधिकारियों / आरक्षियों को प्रक्षेत्र कार्यालय में योगदान की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि उन्हें क्षे0 आरक्षी उप महानिरीक्षक कार्यालय में योगदान देना होगा।

पुलिस हस्तक नियम 775 में उल्लेखित क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षक की स्थानान्तरण शक्ति यथा बनी रहेगी।

हर स्थानान्तरण की सूचना मुख्यालय को दी जायगी।

ह0/- (अरूण कुमार चौधरी)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक बिहार।

ज्ञापांक 1411 /एक्स.पी.
2-3-1-83
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय बिहार पटना।
पटना दिनांक 8 मार्च, 91

प्रतिलिपि

1- मुख्य सचिव, बिहार, पटना।
2- सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना
3- विशेष सभी महानिदेशक / सभी आरक्षी महानिरीक्षक
4- सभी आरक्षी उप महानिरीक्षक
5- सभी आरक्षी अधीक्षक / सभी समादेष्टा
6- प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग /पदमा
7- प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, भागलपुर
8- सभी आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक
9- सभी प्रशाखा पदाधिकारी, महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय
10- पुलिस गजट में प्रकाशनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

31/12/91

आरक्षी उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) बिहार, पटना।